वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 166/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-08.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 08.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना रौनापार: चोरी गये पम्पसेट आदि सामान के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी माला पटेल पुत्र छबिलाल पटेल निवासी सपहा पाठक थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र कि दिनांक 14.04.25 की रात्रि में खेत में लगे पम्पीसेट वाले घर का ताला तोड़ कर प्रतिवादीगण 1-मनोज पुत्र तिरथ 2-गोलू पुत्र हरेन्द्र 3- किशन पुत्र दुर्गेश 4- वाहिद पुत्र बफाती निवासीगण भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा पम्पीसेट मय सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया जिस पर थाना स्थानीय पर दिनांक 23.04.25 को मु0अ0सं0 140/25 धारा 305/331(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुमित सिंह द्वारा प्रचलित है।

दौराने विवेचना अभियुक्त 1-किशन पुत्र दुर्गेश 2-वाहिद पुत्र बफाती निवासीगण भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दिनांक 23.04.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त 3- मनोज पुत्र तिरथ निवासी भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक- 08.05.2025 को **उ0नि0 सुमित सिंह, उ0नि0 मधुसूदन मिश्र** मय हमराह द्वारा ग्राम रोहुवार से मुकदमा उपरोक्त मे नामजद वांछित **अभियुक्त मनोज पुत्र तिरथ निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़** को समय करीब 05.50 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त गोलू पुत्र हरेन्द्र निवासी भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बादस्तूर फरार चल रहा है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 140/25 मे धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढोतरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग¬-

1.मु0अ0सं0 140/25 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बी.एन्.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 121/25 धारा 331(4)/305/317(2)/3(5) बी.एन्.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मनोज पुत्र तीरथ निवासी भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी-

मु0अ0सं0 140/25 मे चोरी का 01 अदद इंजन किर्लोस्कर कम्पनी का 05 HP का, 01 अदद पुराना इश्तेमाली फावडा, 01 अदद सेक्शन पाइप व रंग हरा, 01 अदद रेक्सवाल तथा 01 अदद हैण्ड पम्प का मुण्डा व रंग धानी व मु0अ0सं0 121/25 मे चोरी किये सामान का 670 रुपये तथा अभियुक्त मनोज उपरोक्त के कब्जे से 560/- रूपये नकद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 सुमित सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 चन्दन गौड थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 उमेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

02.थाना- कप्तानगंज:पीड़िता को फावड़े से हमला कर बेहोश करने वाले 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 07.05.2025 को **वादी मुकदमा संजय यादव पुत्र सीताराम यादव ग्राम अशरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ** द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के पट्टीदारो द्वारा मार पीट किये तथा बाल अपचारी ने फावडे से वादी की बहन उर्मीला देवी को सिर में मार दिया जिससे वह बेहोश हो गयी सभी लोग गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय **पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 3(5)/110/115(2)/352 /351(2) BNS** पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना चौकी प्रभारी बड़सरा खालसा मायापति पाण्डेय द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद बाल अपचारी व अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध प्रचलित है। तथा बाल अपचारी को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवही करते हुए रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण–

आज दिनांक 08.05.2025 **को उ0नि0 मायापति पाण्डेय मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को छाता पूरा ब्रिज के नीचे से समय 9.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।